भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना — मास्टर नोट्स

संसद और राज्य विधानसभाओं (संरचना, कामकाज, कामकाज का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार) और फीचर-बाय-फीचर तुलना सहित

टियर: प्रीलिम्स + मेन्स (GS-II) + निबंध + इंटरव्यू — इंटीग्रेटेड | **मीडियम:** इंग्लिश | **फ़ॉर्मेट:** कॉम्पैक्ट | **स्टैंडर्ड:** UPSC थिंक-टैंक / टॉपर-मेंटर लेवल
सोर्स ऑफ़ ट्रुथ (स्कोप बाउंड्री): ऑफिशियल UPSC CSE सिलेबस (अपलोड किया गया) + क्रिस्टलाइज्ड सिलेबस कंपाइलेशन (अपलोड किया गया)। इनके बाहर कोई टॉपिक नहीं जोड़ा गया; लिस्ट किए गए हर फीचर की तुलना संबंधित विदेशी संविधान से की जाती है।
भरोसेमंद प्रोटोकॉल: ज़ीरो फैब्रिकेशन। हर आर्टिकल, देश-कम्पेरिजन, तारीख और केस, पहले से मौजूद रिकॉर्ड के हिसाब से बताया गया है। पोस्ट-कटऑफ करेंसी पर निर्भर आइटम को फ्लैग किया जाता है ⚠ **लेटेस्ट वेरिफाई करें**। यह यूनिट भरोसेमंद कम्पेरेटिव रिपॉजिटरी है — हर भारतीय फीचर को उसके विदेशी काउंटरपार्ट (USA, UK, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वगैरह) के साथ पेयर करती है।
इस बुकलेट को कैसे पढ़ें: ब्लॉक C में हर फीचर के साथ एक **तुलना टेबल (भारत बनाम दूसरे देश)** और एनालिसिस दिया गया है। प्रीलिम्स को जल्दी याद करने के लिए ब्लॉक D के **उधार लिए गए फीचर वाले कंट्री मैप का इस्तेमाल करें** और मेन्स की तैयारी के लिए ब्लॉक F का इस्तेमाल करें।

ब्लॉक A — सिलेबस मैप (सटीक सबटॉपिक चेकलिस्ट)

☐ सबटॉपिक / फ़ीचर	प्रिंसिपल तुलना	टीयर
संसद और राज्य विधानसभाएं (संरचना, कामकाज, कामकाज का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार)	यूके (वेस्टमिंस्टर), यूएसए (कांग्रेस)	प्री + मेन्स (उच्च)
लिखित संविधान	UK (बिना लिखा हुआ) बनाम USA (थोड़ा लिखा हुआ)	प्री + मेन्स
कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण	USA (कठोर) बनाम UK (लचीला)	प्री + मेन्स
एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली	USA/कनाडा (फ़ेडरल); UK (यूनिटरी)	मेन्स (उच्च)
संसदीय शासन प्रणाली	UK (संसदीय) बनाम USA (राष्ट्रपति)	मुख्य (उच्च)
संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण	यूके (संप्रभुता) + यूएसए (न्यायिक सर्वोच्चता)	मुख्य (उच्च)
एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका	संयुक्त राज्य अमेरिका (दोहरी अदालत प्रणाली)	मेन्स + प्री
मौलिक अधिकार, DPSP, मौलिक कर्तव्य	यूएसए (FR), आयरलैंड (DPSP), यूएसएसआर (FD)	प्री + मेन्स
धर्मनिरपेक्ष राज्य	USA (अलगाव की दीवार) बनाम भारत (सिद्धांत आधारित दूरी)	मेन्स
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार	फ्रैंचाइज़ विकास की तुलना	प्री + मेन्स
एकल नागरिकता	संयुक्त राज्य अमेरिका (दोहरी नागरिकता)	प्री + मेन्स
आपातकालीन प्रावधान	वाइमर जर्मनी; तुलना	मेन्स + प्री
त्रि-स्तरीय सरकार	तुलनात्मक स्थानीय सरकार	मेन्स
उचित प्रक्रिया बनाम कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया	USA (ड्यू प्रोसेस) बनाम जापान/इंडिया (प्रोसिजर)	मेन्स (हाई) + प्री
राष्ट्रपति पर महाभियोग, वगैरह।	अमेरिका बनाम भारत महाभियोग और अन्य उधार	प्री + मेन्स

सेल्फ-सर्टिफिकेशन: लिस्ट में दिए गए सभी फीचर्स (संसद/राज्य विधानसभाओं सहित) ब्लॉक C–M में बताए गए हैं और ब्लॉक N में फिर से टिक किए गए हैं।

ब्लॉक B — कॉन्सेप्चुअल कोर (मतलब · बैकग्राउंड · स्कोप · नेचर)

मतलब: कम्पेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी यह जांचती है कि भारतीय संविधान की खासियतें दूसरे संविधानों से कैसे मिलती-जुलती हैं या अलग हैं, यह पहचानती है कि भारत ने क्या **उधार लिया** , क्या **अपनाया** , और क्या **खास तौर पर भारतीय है** । भारतीय संविधान मशहूर तौर पर 'उधारों का एक थैला' है — लेकिन यह एक सोचा-समझा **मेल है** , सिर्फ़ एक कॉपी नहीं।
तुलना क्यों ज़रूरी है: संविधान बनाने वालों ने दुनिया के संविधानों की सोच-समझकर स्टडी की और भारतीय हालात के हिसाब से खास बातें चुनीं। तुलना से पता चलता है कि (a) हर खास बात का **सोर्स क्या था ; (b) भारत ने उन्हें क्यों** बदला; और (c) भारतीय मेलजोल की **खासियत** (जैसे, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को अमेरिकी ज्यूडिशियल रिव्यू के साथ मिलाना)।
'उधारों का बैग' — मास्टर मैप: GoI एक्ट 1935 — फेडरल स्कीम, गवर्नर, ज्यूडिशियरी, PSCs, इमरजेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल (सबसे बड़ा सोर्स)। **UK** — पार्लियामेंट्री सरकार, कानून का राज, सिंगल सिटिज़नशिप, कैबिनेट, बाईकैमरलिज़्म, रिट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। **USA** — फंडामेंटल राइट्स, ज्यूडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी, इंपीचमेंट, वाइस-प्रेसिडेंट, प्रिएंबल, जजों को हटाना। **आयरलैंड** — DPSP, राज्यसभा में नॉमिनेशन, प्रेसिडेंट के चुनाव का तरीका। **कनाडा** — स्ट्रॉन्ग-सेंटर फेडरेशन, सेंटर के पास रेसिड्यूरी पावर्स, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट, SC का एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन। **ऑस्ट्रेलिया** — कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड और कॉमर्स की फ्रीडम, जॉइंट सिटिंग। **वाइमर जर्मनी** — इमरजेंसी के दौरान FRs का सस्पेंशन। **USSR** — फंडामेंटल ड्यूटीज़, जस्टिस का आइडियल (प्रिएंबल)। **फ्रांस** —

रिपब्लिक, लिबर्टी-इक्वालिटी-फ्रेटरनिटी। **साउथ अफ्रीका** — अमेंडमेंट प्रोसीजर, राज्यसभा का इलेक्शन। **जापान** — 'कानून द्वारा एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर'।

स्कोप: यह यूनिट, हर फीचर के हिसाब से, भारतीय स्कीम की तुलना विदेशी संविधानों से करती है: लेजिस्लेचर (संसद/राज्य लेजिस्लेचर), लिखा हुआ संविधान, अमेंडमेंट (सख्ती/फ्लेक्सिबिलिटी), फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सरकार, सॉवरेनिटी बनाम ज्यूडिशियल सुप्रीमेसी, ज्यूडिशियरी, अधिकार/DPSP/ड्यूटी, सेक्युलरिज्म, फ्रैंचाइज, नागरिकता, इमरजेंसी, थ्री-टियर सिस्टम, ड्यू प्रोसेस बनाम कानून द्वारा बनाया गया प्रोसीजर, और इंपीचमेंट और दूसरी उधारी।

नेचर: इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक **क्रिएटिव सिंथेसिस है** : यह **ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल को अमेरिकन ज्यूडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स** , **आयरिश डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स** , **कैनेडियन फेडरलिज्म** और एक **खास इंडियन सोशल-जस्टिस और इंटीग्रेटिव विजन** के साथ मिलाता है — जिससे यह न तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है और न ही पूरी तरह से ओरिजिनल क्रिएशन है, बल्कि **इंडियन रियलिटी पर आधारित एक अडैप्टेशन है** ।

एग्जाम पॉइंट: हर फीचर के लिए, जवाब को ऐसे बनाएं: **(1) इंडियन पोजीशन → (2) फॉरेन कम्पेरिजन → (3) इंडिया ने इसे क्यों अपनाया → (4) खास इंडियन सिंथेसिस।** प्रीलिम्स के लिए **उधार लिए गए फीचर वाले कंट्री मैप को याद करके** रखें ।

ब्लॉक बीटी — तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन के सैद्धांतिक आधार

खास फीचर्स की तुलना करने से पहले, अंदरूनी थ्योरी को समझना ज़रूरी है। यह ब्लॉक कॉन्सेप्चुअल ढांचा तैयार करता है — संविधान क्या है, संविधानों को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, और मुख्य थ्योरी (संविधानवाद, सॉवरेनिटी, फेडरलिज्म, शक्तियों का सेपरेशन, अधिकार) जिनके आधार पर भारतीय स्कीम को मापा जाता है। ये थ्योरी ब्लॉक C में बार-बार आती हैं।

BT.1 संविधान क्या है? थ्योरी और काम

परिभाषा (थ्योरी): एक **संविधान** बुनियादी नियमों का ग्रुप है — चाहे वे लिखे हों या नहीं — जो राज्य **बनाता है , सरकारी पावर बांटता है और उसे लिमिट करता है, राज्य और नागरिक के बीच रिश्ते को बताता है, और वह फ्रेमवर्क देता है जिसके अंदर आम कानून बनता है। केल्सन के शब्दों में, यह ग्रंडनॉर्म है** , वह बेसिक नॉर्म जिससे बाकी सभी कानूनी नॉर्म वैलिडिटी पाते हैं। यह **बुनियादी कानून है** — आम कानून से बेहतर और (ज़्यादातर मॉडर्न राज्यों में) सरकारी अथॉरिटी का सोर्स है।

संविधान के काम: एक संविधान आम तौर पर कई काम करता है: (1) यह सरकार के अंगों (लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ज्यूडिशियरी) को **बनाता और ऑर्गनाइज़ करता है ; (2) यह पावर बांटता है** (अंगों के बीच, और फेडरेशन में सरकार के लेवल के बीच); (3) यह **पावर को लिमिट करता है** और नागरिक की सुरक्षा करता है (अधिकार, ज्यूडिशियल रिव्यू); (4) यह लोगों की **पॉलिटिकल फिलॉसफी और उम्मीदों को बताता है** (प्रीएंबल); और (5) यह अपने खुद के **अमेंडमेंट और कंटिन्यूटी का इंतज़ाम करता है। इस तरह एक संविधान सरकार का एक फ्रेम** और **वैल्यूज़ का चार्टर** दोनों है ।

संविधान बनाम संविधानवाद: एक ज़रूरी सैद्धांतिक फ़र्क: **संविधान एक** डॉक्यूमेंट या नियमों का सेट होता है; **संविधानवाद** *सीमित सरकार का सिद्धांत* है — यह विचार कि सरकारी पावर को कानूनी सीमाओं के अंदर ही नियंत्रित, जांचा और इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक राज्य के पास बिना संविधानवाद के भी संविधान हो सकता है (जैसे, ऐसे संविधानों वाले तानाशाही शासन जो सच में पावर को सीमित नहीं करते)। तुलनात्मक स्टडी सिर्फ़ यह नहीं देखती कि किसी देश में संविधान है या नहीं, बल्कि यह भी कि क्या वह संविधानवाद का पालन करता है — और भारत, अपने लिखित संविधान, मौलिक अधिकारों, न्यायिक समीक्षा और बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत के साथ, व्यवहार में संविधानवाद का एक मज़बूत उदाहरण है।

BT.2 संविधानों का वर्गीकरण (सिद्धांत)

लिखा हुआ बनाम बिना लिखा हुआ: एक **लिखा हुआ (कोडिफ़ाइड)** संविधान एक ही, आधिकारिक डॉक्यूमेंट (USA, इंडिया) में होता है; एक **बिना लिखा हुआ (अनकोडिफ़ाइड)** संविधान कानूनों, कन्वेंशन, कॉमन लॉ और आधिकारिक कामों (UK) में फैला होता है। कोई भी संविधान पूरी तरह से लिखा हुआ या पूरी तरह से बिना लिखा हुआ नहीं होता — लिखे हुए संविधान कन्वेंशन और इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करते हैं, और 'बिना लिखे' संविधानों में कई लिखे हुए कानून होते हैं। फ़र्क **डिग्री और फ़ॉर्म का है** ।

कठोर बनाम लचीला (ब्राइस): लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने संविधानों को उनके बदलाव के तरीके के हिसाब से बांटा: एक **कठोर** संविधान में बदलाव के लिए एक खास, ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस की ज़रूरत होती है (ताकि संविधान आम कानून से बेहतर हो और आसानी से बदलाव से सुरक्षित रहे — जैसे, USA); एक **लचीले** संविधान में आम कानून बनाने के प्रोसेस से बदलाव किया जा सकता है (ताकि संवैधानिक और आम कानून का स्टेटस एक जैसा हो — जैसे, UK)। भारत एक **मिला-जुला संविधान है** , जिसमें ग्रेडेड बदलाव प्रोसेस होता है।

दूसरे क्लासिफिकेशन: संविधानों को इस तरह भी बांटा जा सकता है: **लागू (पारंपरिक)** बनाम **विकसित (कुल मिलाकर)** — लागू संविधान किसी खास समय पर जानबूझकर बनाए जाते हैं (भारत, USA), विकसित संविधान सदियों में अपने आप बनते हैं (UK); **फेडरल बनाम यूनिटरी** (लेवल के बीच पावर के बंटवारे से); **पार्लियामेंट्री बनाम प्रेसिडेंशियल** (एग्जीक्यूटिव-लेजिस्लेचर के रिश्ते से); और **रिपब्लिकन बनाम मोनार्किकल** (राज्य के मुखिया के हिसाब से)। ये क्लासिफिकेशन के आधार तुलनात्मक स्टडी के एनालिटिकल टूल हैं, और भारतीय संविधान को हर एक पर रखा जा सकता है।

बीटी.3 संप्रभुता का सिद्धांत

कॉन्सेप्ट: सॉवरेनिटी किसी भी देश के अंदर सबसे बड़ी, आखिरी अथॉरिटी होती है। **जॉन ऑस्टिन की** क्लासिकल थ्योरी ने सॉवरेनिटी को एक तय इंसान के तौर पर माना, जिसके कमांड्स को आदतन माना जाता है — 'लीगल सॉवरेन'। मॉडर्न थ्योरी **लीगल सॉवरेनिटी** (वह अथॉरिटी जो कानून बनाती है) को **पॉलिटिकल सॉवरेनिटी** (इसके पीछे की आखिरी ताकत — वोटर) और **पॉपुलर सॉवरेनिटी** (लोगों में मौजूद अथॉरिटी, जिसे 'वी, द पीपल' में बताया गया है) से अलग करती है।

तीन मॉडल: कम्पेरेटिव संविधान इस सवाल का जवाब तीन तरीकों से देते हैं कि सबसे बड़ी अथॉरिटी कहाँ है। **पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी (UK)** — ए.वी. डाइसी का सिद्धांत — यह मानता है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना या हटा सकती है और कोई भी कोर्ट पार्लियामेंट के एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता।

पॉपुलर/कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी (USA) — लोगों की इच्छा बताने वाला संविधान सबसे ऊपर है, और ज्यूडिशियरी ज्यूडिशियल रिव्यू के ज़रिए इसकी रक्षा

करती है। **सिंथेसिस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी (इंडिया)** — न तो पार्लियामेंट और न ही ज्यूडिशियरी सबसे ऊपर है; संविधान सबसे ऊपर है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत आखिरी सीमा है। (C.6 में पूरी तरह से डेवलप किया गया।)

बीटी.4 संघवाद का सिद्धांत

फ़ेडरल सिद्धांत: केसी व्हेयर ने फ़ेडरल सिद्धांत को ऐसे बताया, 'ताकतों को बांटने का तरीका ताकि आम और क्षेत्रीय सरकारें, एक दायरे में, तालमेल बिठा सकें और आज़ाद रहें।' **डैनियल एलाज़र ने** फ़ेडरलिज़्म को 'सेल्फ़-रूल प्लस शेयर्ड रूल' बताया। **विलियम राइकर ने** फ़ेडरेशन के पीछे की पॉलिटिकल सौदेबाज़ी पर ज़ोर दिया। इस तरह फ़ेडरलिज़्म के लिए सरकार के दो (या ज़्यादा) लेवल के बीच **ताकतों का संवैधानिक बंटवारा ज़रूरी है** , जिनमें से हर एक को संविधान से अधिकार मिलता है और वह अपने दायरे में नागरिकों पर सीधे काम करता है।

फेडरेशन के प्रकार: थ्योरी फेडरेशन को **शुरुआत के आधार पर अलग करती है** — **'एक साथ आने वाले'** फेडरेशन (सॉवरेन यूनिट्स का एक साथ आना, जैसे, USA) बनाम **'एक साथ रहने वाले'** फेडरेशन (एक एक राज्य जो पावर बांटता है, जैसे, इंडिया, स्पेन), यह अंतर **अल्फ्रेड स्टीफन ने बताया था** ; **सिमिट्री के आधार पर** — सिमेट्रिक (यूनिफॉर्म यूनिट्स) बनाम **एसिमेट्रिक** (अलग-अलग यूनिट्स); और **प्रैक्टिस के आधार पर** — **डुअल** ('लेयर-केक'), **कोऑपरेटिव** ('मार्बल-केक'), और **कॉम्पिटिटिव** फेडरलिज्म। इंडिया एक साथ रहने वाला, एसिमेट्रिक, और तेज़ी से कोऑपरेटिव-कॉम्पिटिटिव फेडरेशन है।

फेडरेशन बनाम कन्फेडरेशन बनाम यूनिटरी: एक **यूनिटरी** राज्य पावर को सेंटर में इकट्ठा करता है (जिसे वह लोकल यूनिट्स को सौंप सकता है जिन्हें वह ओवरराइड कर सकता है — UK); एक **फेडरेशन** संवैधानिक रूप से पावर को सेंटर और यूनिट्स (USA, इंडिया) के बीच बांटता है; एक **कन्फेडरेशन** सॉवरेन राज्यों का एक ढीला-ढाला लीग है जो अलग होने का अधिकार रखता है (आजकल यह बहुत कम होता है)। इस स्पेक्ट्रम पर किसी देश की जगह, तुलना करने वाले अध्ययन का एक मुख्य सवाल है।

BT.5 शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत

सिद्धांत: मोंटेस्क्यू (1748) ने शक्तियों के बंटवारे को क्लासिक रूप दिया — कि सत्ता के जमावड़े को रोकने और आज़ादी की रक्षा के लिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियल काम अलग-अलग अंगों में होने चाहिए। **चेक्स एंड बैलेंस** एक कॉम्प्लिमेंट्री सिद्धांत है — हर अंग को दूसरों को रोकने के लिए कुछ शक्ति दी जाती है (मैडिसन: 'महत्वाकांक्षा को काउंटर करने के लिए महत्वाकांक्षा होनी चाहिए')। यह थ्योरी शक्तियों के फ्यूजन (UK, भारत) के अंदर **रिजिड/एब्सोल्यूट सेपरेशन (USA) को फंक्शनल/पार्शियल सेपरेशन** से अलग करती है।

बीटी.6 अधिकारों का सिद्धांत

कॉन्सेप्ट: अधिकारों की थ्योरीज़ **नेचुरल अधिकारों** (इंसानों में मौजूद, प्री-पॉलिटिकल — लॉक) को **लीगल/पॉज़िटिव अधिकारों** (कानून द्वारा बनाए और सुरक्षित) से अलग करती हैं; और **नेगेटिव अधिकारों** (राज्य के दखल से आज़ादी — क्लासिकल सिविल लिबर्टीज़) को **पॉज़िटिव अधिकारों** (राज्य की कार्रवाई का दावा — सोशियो-इकोनॉमिक अधिकार) से अलग करती हैं। **जस्टिसेबल** अधिकार कोर्ट में लागू किए जा सकते हैं; **नॉन-जस्टिसेबल** अधिकार नहीं। इंडियन स्कीम जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स (ज़्यादातर नेगेटिव, US से प्रभावित), नॉन-जस्टिसेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स (पॉज़िटिव, वेलफेयर-ओरिएंटेड, आयरिश से प्रभावित) और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मिलाती है — एक सिंथेसिस जिस पर C.8 में चर्चा की गई है।

वेलफेयर-स्टेट का आइडिया: डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पीछे **वेलफेयर स्टेट की थ्योरी है** — कि स्टेट की पॉजिटिव ड्यूटी है कि वह अपने नागरिकों की सोशल और इकोनॉमिक भलाई को सुरक्षित रखे, न कि सिर्फ ऑर्डर बनाए रखे और लिबर्टी की रक्षा करे। सोशलिस्ट और गांधीवादी सोच और आयरिश मॉडल से ली गई यह पॉजिटिव सोच, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिकल लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा इंडिविजुअलिस्ट, नेगेटिव-राइट्स ट्रेडिशन से अलग करती है।

एग्ज़ाम पॉइंट: यह थ्योरी ब्लॉक आपका कॉन्सेप्चुअल टूलकिट है। किसी भी कम्पेरेटिव जवाब में, देश की तुलना करने से पहले, **संबंधित थ्योरी** (जैसे, रिजिडिटी पर ब्राइस, फ़ेडरलिज़्म पर व्हेयर, सॉवरेनिटी पर डाइसी, सेपरेशन पर मोंटेस्क्यू) से शुरू करें — यह एनालिटिकल गहराई दिखाता है और जवाब को सिर्फ़ डिस्क्रिप्शन से ऊपर उठाता है।

ब्लॉक C — पूरी जानकारी (फीचर-दर-फीचर तुलना)

सी.1 संसद और राज्य विधानमंडल - संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार

थ्योरी — डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर: लेजिस्लेचर कानून बनाने वाला अंग है और, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, वह संस्था है जिसके ज़रिए सॉवरेन लोग खुद पर राज करते हैं। थ्योरिस्ट इसे कई रोल देते हैं: **रिप्रेजेंटेशन** (लोगों की इच्छा और डाइवर्सिटी को दिखाना), **डिलीबरेशन** ('देश की बड़ी जांच' जो पॉलिसी पर बहस करती है और उसे बेहतर बनाती है), **लेजिस्लेशन** (बाध्यकारी नियम बनाना), **एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल** (पार्लियामेंट्री सिस्टम में, डिफाइनिंग फंक्शन), **पर्स का कंट्रोल** (रिप्रेजेंटेशन के बिना कोई टैक्स नहीं), और **लेजिटिमेशन** (सरकारी काम को डेमोक्रेटिक मंज़ूरी देना)। जॉन स्टुअर्ट मिल ने रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के सही ऑफिस को राज करने के लिए नहीं बल्कि **सरकार पर नज़र रखने और उसे कंट्रोल करने के लिए देखा** — देश की 'कमेटी ऑफ़ ग्रीवांसेस' और 'कांग्रेस ऑफ़ ओपिनियन्स' के तौर पर।

सिद्धांत - द्विसदनीयता: द्विसदनीयता - एक दो-सदनीय विधायिका - दो औचित्य पर आधारित है। **संघों में** , दूसरा सदन **घटक इकाइयों** (अमेरिकी सीनेट, भारतीय राज्यसभा, जर्मन बुंडेसरात) का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे क्षेत्रों को राष्ट्रीय कानून-निर्माण में आवाज मिलती है। अधिक सामान्यतः, दूसरा सदन एक **संशोधन और जाँच सदन के रूप में कार्य करता है** - एक 'शांत दूसरा विचार' जो जल्दबाजी में बनाए गए कानून की जांच करता है, लोकप्रिय सदन द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हितों और विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करता है, और निरंतरता प्रदान करता है (अक्सर एक स्थायी निकाय होता है)। आलोचकों का तर्क है कि दूसरा सदन या तो एक **रबर स्टैंप हो सकता है** (यदि यह पहले से सहमत है) या एक **बाधा** (यदि यह असहमत है) - एबे सियेस द्वारा बताई गई क्लासिक दुविधा।

(संरचना

भारत की पार्लियामेंट: आर्टिकल 79: पार्लियामेंट में **प्रेसिडेंट , राज्य सभा (काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स)** और **लोकसभा (हाउस ऑफ़ द पीपल) होते हैं । राज्य सभा** (ज़्यादा से ज़्यादा 250 — 238 लोग जो राज्यों/UTs को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें स्टेट असेंबली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन/STV से चुनती हैं + 12 लोग प्रेसिडेंट द्वारा आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं) एक **परमानेंट बॉडी है** (खत्म नहीं होती; एक-तिहाई हर दो साल में रिटायर होते हैं; छह साल का टर्म)। **लोकसभा** (ज़्यादा से ज़्यादा 552 लोग) **सीधे** यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ से **पाँच साल के लिए चुनी जाती है** (खत्म हो सकती है)।

राज्य विधानसभा: आर्टिकल 168: एक राज्य विधानसभा में **गवर्नर** और एक या दो सदन होते हैं — **लेजिस्लेटिव असेंबली (विधानसभा)** (सीधे चुनी हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 500/कम से कम 60, पांच साल का समय) और, जहां यह है, वहां **लेजिस्लेटिव काउंसिल (विधान परिषद)** (एक परमानेंट बॉडी, असेंबली की ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा एक-तिहाई, इनडायरेक्ट तरीके से चुनी हुई/नॉमिनेटेड)। सिर्फ़ कुछ राज्यों में काउंसिल होती है; इसे पार्लियामेंट (आर्टिकल 169) राज्य असेंबली के प्रस्ताव पर बना या खत्म कर सकती है।

तुलना: UK (कॉमन्स + लॉर्ड्स + क्राउन) की तरह और **USA** (कांग्रेस = सीनेट + हाउस, जिसमें अलग से चुना गया प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होता) से अलग, भारत का **हेड ऑफ़ स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है** — यह वेस्टमिंस्टर की एक खासियत है। **राज्यसभा, यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने में US सीनेट** जैसी है , लेकिन सीनेट में राज्यों को बराबर रिप्रेजेंट करने के उलट, यह **आबादी** के हिसाब से सीटें देती है ।

विशेषता	भारत	यूके	यूएसए
ऊपरी सदन	राज्य सभा (जनसंख्या-आधारित; स्थायी)	हाउस ऑफ लॉर्ड्स (अधिकतर नियुक्त/वंशानुगत)	सीनेट (बराबर - प्रति राज्य 2)
निचला सदन	लोकसभा (प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित)	हाउस ऑफ कॉमन्स (सीधे निर्वाचित)	प्रतिनिधि सभा (जनसंख्या)
विधानमंडल में राज्य के मुखिया?	हाँ (राष्ट्रपति संसद का हिस्सा)	हाँ (क्राउन)	नहीं (राष्ट्रपति अलग)
उच्च सदन की शक्तियाँ (धन)	कमज़ोर (सिर्फ़ देरी/सुझाव दे सकते हैं)	कमजोर (संसद अधिनियम)	मजबूत (लगभग बराबर)

(ख) कार्य करना

सेशन और पीठासीन अधिकारी: संसद के तीन सेशन होते हैं — **बजट, मानसून, विंटर** । राष्ट्रपति हर सदन को बुलाते हैं; दो सेशन के बीच ज़्यादा से ज़्यादा **छह महीने का गैप नहीं हो सकता (Article. 85)** । **लोकसभा** की अध्यक्षता **स्पीकर** (और डिप्टी स्पीकर) करते हैं; **राज्यसभा की** अध्यक्षता **वाइस-प्रेसिडेंट** (एक्स-ऑफिशियो चेयरमैन) और डिप्टी चेयरमैन करते हैं। **कोरम** कुल मेंबरशिप का दसवां हिस्सा होता है। मुख्य शब्द: **एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसॉल्यूशन; साइन डाई** । **लेजिस्लेचर के काम: लेजिस्लेटिव** (कानून बनाना), **एग्जीक्यूटिव कंट्रोल/अकाउंटेबिलिटी** (संसदीय सिस्टम की नींव), **फाइनेंशियल** (पर्स पर कंट्रोल), **कॉन्स्टिट्यूएंट** (अमेंडमेंट), **इलेक्टोरल** (प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट, स्पीकर का चुनाव), **ज्यूडिशियल/क्वासी-ज्यूडिशियल** (इंपीचमेंट, प्रिविलेज) और **डिलिबरेटिव/रिप्रेजेंटेटिव** काम।

(ग) व्यवसाय का संचालन

संसदीय नियंत्रण और विचार-विमर्श के उपकरण: प्रश्नकाल (तारांकित-अनुपूरक के साथ मौखिक; अतारांकित-लिखित; अल्प-सूचना), **शून्यकाल** (प्रश्नकाल के तुरंत बाद, तत्काल मामलों के लिए एक भारतीय नवाचार), और प्रस्ताव: **स्थगन प्रस्ताव** (सार्वजनिक महत्व के एक तत्काल मामले पर चर्चा करने के लिए, जिसमें सरकार की निंदा शामिल है- केवल लोकसभा), **अविश्वास प्रस्ताव** (लोकसभा-सरकार को हटा सकती है), **विश्वास प्रस्ताव** , **निंदा प्रस्ताव** , **ध्यानाकर्षण** , **विशेषाधिकार प्रस्ताव** और **कटौती प्रस्ताव** (बजट पर-नीति/अर्थव्यवस्था/टोकन)।

लेजिस्लेटिव प्रक्रिया और बिल के प्रकार: एक बिल फर्स्ट रीडिंग (इंट्रोडक्शन), सेकंड रीडिंग (आम चर्चा + क्लॉज़-बाय-क्लॉज़), और थर्ड रीडिंग से गुज़रता है , फिर दूसरे हाउस से, फिर प्रेसिडेंट की मंज़ूरी से। **प्रकार: साधारण विधेयक** (अनुच्छेद 107 - दोनों सदन समान; **संयुक्त बैठक द्वारा गतिरोध का समाधान, अनुच्छेद 108** , अध्यक्ष की अध्यक्षता में), **धन विधेयक** (अनुच्छेद 110 - परिभाषित; राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है; राज्यसभा केवल 14 दिन की देरी/सिफारिश कर सकती है; **अध्यक्ष** एक धन विधेयक को प्रमाणित करता है - निर्णय अंतिम; **कोई संयुक्त बैठक नहीं**), **वित्तीय विधेयक** और **संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368 - कोई संयुक्त बैठक नहीं)** । **बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112)** में प्रभारित व्यय बनाम मतदान योग्य मदें, अनुदानों की मांग, विनियोग और वित्त विधेयक शामिल होते हैं।

काम करने का तरीका: भारत का तरीका ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स (रीडिंग, मोशन, क्वेश्चन आवर, पार्लियामेंट्री कमेटियों) जैसा है । **ज़ीरो आवर** खास तौर पर भारतीय है। आम बिलों के लिए **जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया से ली गई है** । मनी बिल पर लोअर हाउस का मज़बूत कंट्रोल **UK** (पार्लियामेंट एक्ट्स) जैसा है — लगभग बराबर US सीनेट के उलट।

(घ) शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार

पार्लियामेंट्री प्रिविलेज: आर्टिकल 105 (पार्लियामेंट) और 194 (स्टेट लेजिस्लेचर) प्रिविलेज देते हैं — लेजिस्लेटर्स की आज़ादी और असर पक्का करने के लिए खास अधिकार। इनमें शामिल हैं: **लेजिस्लेचर में बोलने की आज़ादी** (कोई भी सदस्य किसी भी बात या वोट के लिए कोर्ट की कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा — संविधान और नियमों के तहत); सिविल केस में **गिरफ्तारी से आज़ादी (सेशन से 40 दिन पहले/बाद में); कार्रवाई पब्लिश करने और अजनबियों को बाहर करने का** अधिकार ; **अंदरूनी कार्रवाई को रेगुलेट करने** का अधिकार (कोर्ट दखल नहीं दे सकते — आर्टिकल 122, 212); और **प्रिविलेज तोड़ने या कंटेम्प्ट के लिए सज़ा देने** का अधिकार ।

प्रिविलेज — तुलना और मुद्दा: भारतीय प्रिविलेज **ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स से लिए गए हैं** (Art. 105 में शुरू में UK हाउस ऑफ़ कॉमन्स के प्रिविलेज के

बारे में बताया गया था, जब तक इसे कोडिफाई नहीं किया गया)। एक लंबे समय से चली आ रही समस्या यह है कि भारत में प्रिविलेज अभी भी **अनकोडिफाइड हैं, जिससे फंडामेंटल राइट्स** (फ्री स्पीच, Art. 19) और **ज्यूडिशियल रिव्यू के साथ तनाव पैदा हो रहा है** — एक बैलेंस जिस पर कोर्ट बातचीत करते रहते हैं। **UK** इसका सोर्स है; **USA में** कम, कॉन्स्टिट्यूशनली तय लेजिस्लेटिव प्रिविलेज (स्पीच या डिबेट क्लॉज) हैं।

(ई) संसदीय समितियाँ

कमेटियां क्यों: पार्लियामेंट अपनी पूरी मीटिंग में हर बिल, बजट और पॉलिसी की डिटेल में जांच नहीं कर सकती; इसलिए इसका ज़्यादातर काम **कमेटियों के ज़रिए होता है — ये 'मिनी-लेजिस्लेचर' हैं जो मामलों की बारीकी से जांच करती हैं। ब्रिटिश प्रैक्टिस** से ली गई और समय के साथ मज़बूत हुई, ये एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का एक ज़रूरी ज़रिया हैं।

टाइप: स्टैंडिंग कमेटियों (परमानेंट) में **फाइनेंशियल कमेटियां शामिल हैं — पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC)** (ऑडिट/CAG रिपोर्ट्स की जांच करती है; कन्वेंशन के हिसाब से अपोज़िशन का कोई मेंबर इसकी चेयरमैनशिप करता है), **एस्टिमेट्स कमिटी** (बजट एस्टिमेट्स की जांच करती है; सिर्फ़ लोकसभा) और **पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर कमेटियां** ; **डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटियां (DRSCs)** (24 कमेटियां जो बिल्स, बजट और मिनिस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ की जांच करती हैं); और प्रिविलेज, गवर्नमेंट एश्योरेंस वगैरह पर कमेटियां। **एड-हॉक कमेटियों में खास बिल्स पर सेलेक्ट और जॉइंट कमेटियां** और इंक्वायरी कमेटियां शामिल हैं ।

तुलना: US **कांग्रेस** में एक बहुत ही **ताकतवर कमेटी सिस्टम है** — बड़े स्टाफ वाली स्टैंडिंग कमेटी, समन जारी करने की पावर और कानून पर अहम असर ('कांग्रेस एट वर्क इज़ कांग्रेस इन कमेटी', वुडरो विल्सन)। **ब्रिटिश** कमेटी सिस्टम तुलना में कमज़ोर है, जिसमें फ्लोर और व्हिप का दबदबा होता है। भारत का सिस्टम बीच में है, लेकिन इसकी कमेटी का बहुत **कम इस्तेमाल होता है** (बिल का कमेटी में रेफरेंस कम होना, कम अटेंडेंस) — यह सुधार की चिंता है।

एंटी-डिफेक्शन (दसवीं अनुसूची): भारतीय विधानसभाओं के कामकाज पर असर डालने वाली एक खास बात **एंटी-डिफेक्शन कानून (52वां संशोधन, 1985; दसवीं अनुसूची) है** , जो विधायकों को दलबदल के लिए अयोग्य ठहराता है, और **पीठासीन अधिकारी** फैसला करता है (*किहोतो होलोहन*, 1992 से न्यायिक समीक्षा के अधीन)। UK या US सिस्टम में इसका कोई सटीक उदाहरण नहीं है और यह भारत के राजनीतिक अस्थिरता और 'आया राम गया राम' दलबदल के खास अनुभव को दिखाता है।

एग्जाम पॉइंट: यह सब-टॉपिक खुद ही GS-II का एक बड़ा एरिया है। मास्टर **आर्ट्स 79/168 (स्ट्रक्चर), 85 (सेशन), 105/194 (प्रिविलेज), 107–111 (बिल), 108 (जॉइंट सिटिंग), 110 (मनी बिल), 112 (बजट)** ; **कमेटियां (PAC, एस्टिमेट्स, DRSCs)** ; **एंटी-डिफेक्शन लॉ (दसवीं शेड्यूल)** ; **डिवाइस (जीरो आवर, मोशन, कट मोशन)** ; और **UK/US तुलना** (लेजिस्लेचर में हेड ऑफ स्टेट, मनी बिल पावर, कमिटी स्ट्रेंथ, अनकोडिफाइड प्रिविलेज)।

C.2 लिखित संविधान

थ्योरी — कोड बनाना और उसका कारण: एक **लिखा हुआ संविधान,** बुनियादी कानून का एक सोचा-समझा, कोड में लिखा हुआ बयान होता है, जिसे आम तौर पर किसी शुरुआती पल (क्रांति, आज़ादी, या फिर से शुरुआत) पर बनाया जाता है। कोड बनाने के पीछे की थ्योरी यह है कि बुनियादी नियम **पक्के, जानने लायक और पक्के होने चाहिए** — जिन्हें आम राजनीति की पहुँच से ऊपर रखा जाए और अचानक होने वाले बदलाव से बचाया जाए। एक लिखा हुआ संविधान **संवैधानिक सुप्रीमेसी** (संविधान को बेहतर कानून के तौर पर), **ज्यूडिशियल रिव्यू** (अदालतें कानूनों को एक तय टेक्स्ट के हिसाब से परखती हैं), और अधिकारों और शक्तियों की **साफ़गोई को मुमकिन बनाता है ।** इसके उलट, **बिना लिखी परंपरा इस थ्योरी पर टिकी है कि एक संविधान ऑर्गेनिक और इवोल्यूशनरी होना चाहिए** , जो रिवाज, कानून और रिवाज से बढ़े, और ताकत को रोकने के लिए एक तय टेक्स्ट के बजाय पॉलिटिकल कल्चर पर भरोसा करे।

थ्योरी — फायदे और नुकसान: लिखे हुए संविधान के फायदे: पक्कापन और साफ़ होना; बुनियादी उसूलों का सबसे अहम होना और उनकी मज़बूती; ज्यूडिशियल रिव्यू के लिए एक मज़बूत आधार; कुछ समय के लिए बहुमत से अधिकारों की सुरक्षा; और एक नई या अलग-अलग तरह की पॉलिटिक्स के लिए एक पक्का फ्रेमवर्क। **नुकसान:** सख्ती और एडजस्ट करने में मुश्किल; ज़्यादा जानकारी और कानूनी बातों का खतरा; ज्यूडिशियल मतलब पर निर्भरता; और यह खतरा कि कोई टेक्स्ट पुराना हो सकता है। **बिना लिखे मॉडल के फायदे:** बदलती ज़रूरतों के हिसाब से लचीलापन, ढलने की क्षमता और रिस्पॉन्सिवनेस। **नुकसान:** पक्का न होना, पक्की सुरक्षा की कमी, और कन्वेंशन और खुद पर काबू पर भरोसा। यह चुनाव समाज के हालात को दिखाता है — नए और अलग-अलग तरह के देश आमतौर पर लिखे हुए चार्टर की पक्कापन को पसंद करते हैं।

भारत की स्थिति: भारत का संविधान **पूरी तरह से लिखा हुआ है** और दुनिया का **सबसे लंबा** संविधान है (असल में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल)। इसकी लंबाई भौगोलिक विविधता, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान, जो बड़े GoI Act 1935 से लिया गया है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल शामिल होने की वजह से है।

तुलना: UK का संविधान **बिना लिखा/अनकोडेड** है — इसमें कानून, कन्वेंशन, कॉमन लॉ और आधिकारिक कामों का मिक्सचर है — जो इसे फ्लेक्सिबल और इवोल्यूशनरी बनाता है। **USA का संविधान लिखा हुआ है लेकिन बहुत छोटा है** (7 आर्टिकल) जो ज़्यादातर ज्यूडिशियल इंटरप्रिटेशन और कन्वेंशन पर निर्भर करता है। भारत इस मामले में 'सबसे ज़्यादा लिखा/डिटेल' वाला है।

पहलू	भारत	यूके	यूएसए
रूप	लिखित, सबसे लंबा	अलिखित/असंहिताबद्ध	लिखित, संक्षिप्त (7 लेख)
स्रोत	एकल दस्तावेज़ + संशोधन	क़ानून + परंपराएँ + सामान्य कानून	दस्तावेज़ + व्याख्या + परंपराएँ
FLEXIBILITY	कठोर और लचीले का मिश्रण	अत्यधिक लचीला	बहुत कठोर

लिखे हुए रूप का महत्व: एक डिटेल्ड लिखा हुआ संविधान भारत को **साफ़-साफ़, पक्कापन और सबसे ऊपर रखता है** — एक अकेला आधिकारिक टेक्स्ट जिसके सामने सभी कानूनों और कामों को परखा जा सकता है, और अलग-अलग तरह की पॉलिटिक्स के लिए एक स्टेबल फ्रेमवर्क देता है। यह अनिश्चित कन्वेंशन

(ब्रिटिश मॉडल की कमज़ोरी) पर निर्भरता कम करता है और ज्यूडिशियल रिव्यू के लिए एक मज़बूत आधार देता है (जिसे अमेरिकी लिखा हुआ रूप मुमकिन बनाता है)। इसकी कीमत है सख्ती और लंबा-चौड़ा होना, और यह रिस्क कि बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए बार-बार बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। कुल मिलाकर, बनाने वालों ने यह तय किया कि एक युवा, अलग-अलग तरह के लोगों वाले देश को बिना लिखे हुए चार्टर की फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा एक बड़े लिखे हुए चार्टर की पक्कापन की ज़रूरत है — यह फैसला सात दशकों में संविधान की स्थिर करने वाली भूमिका से सही साबित हुआ।

C.3 कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण

थ्योरी — संविधान में बदलाव और मज़बूती क्यों होती है: हर संविधान को दो ज़रूरतों में तालमेल बिठाना होता है: **स्थिरता** (ताकि बुनियादी नियम हर गुज़रती हुई मेजॉरिटी के रहम पर न हों) और **बदलाव की क्षमता** (ताकि संविधान समाज के साथ बदल सके)। इस तनाव को मैनेज करने का तरीका **बदलाव का तरीका है**। **मज़बूती** — कुछ नियमों को आम कानून से बदलना मुश्किल बनाना — बुनियादी सिद्धांतों और माइनॉरिटी के अधिकारों को कुछ समय की मेजॉरिटी से बचाता है, यह बताता है कि संविधान **एक बड़ा कानून है**। मज़बूती की डिग्री, ब्राइस के हिसाब से, यह तय करती है कि संविधान **सख़्त है या लचीला**।

सिद्धांत - स्पेक्ट्रम और इसका तर्क: एक चरम पर, एक **पूरी तरह से लचीला** संविधान (यूके) संवैधानिक और सामान्य कानून के साथ एक जैसा व्यवहार करता है - अनुकूलनशीलता को अधिकतम करता है, लेकिन मौलिक सिद्धांतों को कोई विशेष सुरक्षा नहीं देता है, जो सम्मेलन और राजनीतिक संस्कृति पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, एक **अत्यधिक कठोर** संविधान (यूएसए) पूरे दस्तावेज को एक मांगलिक संशोधन प्रक्रिया के पीछे मजबूती देता है - स्थिरता को अधिकतम करता है, लेकिन इस जोखिम के साथ कि संविधान को अपडेट करना मुश्किल हो जाता है और इसके बजाय न्यायिक पुनर्व्याख्या द्वारा बदल दिया जाता है। एक **श्रेणीबद्ध** दृष्टिकोण (भारत) सबसे मौलिक (विशेष रूप से संघीय) प्रावधानों को मजबूती देता है, जबकि कहीं और आसान बदलाव की अनुमति देता है - दोनों के लाभों की तलाश करता है। औपचारिक संशोधन से परे गहरा सैद्धांतिक प्रश्न है कि क्या **संशोधन** करने की शक्ति की **निहित सीमाएँ हैं -**

भारत का रुख: भारत का बदलाव का प्रोसेस (**Article 368** + सिंपल मेजॉरिटी से बदले जा सकने वाले प्रोविज़न) एक **सिंथेसिस है** — न तो US जितना सख़्त है और न ही UK जितना लचीला। तीन रास्ते: **सिंपल मेजॉरिटी** (368 के बाहर), **स्पेशल मेजॉरिटी** , और **स्पेशल मेजॉरिटी + आधे राज्यों द्वारा मंज़ूरी** (फ़ेडरल प्रोविज़न)।

तुलना: USA **बहुत सख़्त** है — बदलावों के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में दो-तिहाई वोट और **तीन-चौथाई राज्यों से मंज़ूरी की ज़रूरत होती है** (230 से ज़्यादा सालों में सिर्फ़ 27 बदलाव हुए हैं)। **UK पूरी तरह से लचीला** है — इसका 'संविधान' पार्लियामेंट के एक आम एक्ट से बदला जा सकता है। भारत का बीच का रास्ता कुछ हद तक **साउथ अफ्रीका** से लिया गया था।

पहलू	भारत	यूएसए	यूके
संशोधन कठिनाई	मिश्रण (श्रेणीबद्ध)	बहुत कठोर (3/4 अवस्थाएँ)	साधारण कानून (लचीला)
परिवर्तनों की संख्या	100+ संशोधन	27 संशोधन	निरंतर (कोई गिनती नहीं)
संशोधन की सीमा	बुनियादी संरचना (न्यायाधीश द्वारा बनाई गई)	कोई स्पष्ट नहीं	संसदीय संप्रभुता

इस मिश्रण का महत्व: ग्रेडेड संशोधन योजना एक परिपक्व समझ को दर्शाती है कि संविधान **न तो स्थिर होना चाहिए और न ही अस्थिर**। संघीय ढांचे को बदलना कठिन बनाकर (राज्य द्वारा पुष्टि) जबकि अन्य भागों को आसानी से अपनाने की अनुमति देकर, भारत ने बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बने रहते हुए अपने आवश्यक ढांचे की रक्षा की — सात दशकों में सौ से अधिक संशोधनों ने लचीलेपन को प्रदर्शित किया, जबकि मूल ढांचे का बचा रहना स्थिरता को प्रदर्शित करता है। **मूल ढांचे के सिद्धांत ने** फिर एक न्यायाधीश द्वारा बनाई गई बाहरी सीमा जोड़ी, यह सुनिश्चित करते हुए कि संशोधन करने की शक्ति भी संविधान की पहचान को नष्ट नहीं कर सकती। इस प्रकार भारत कानूनी लचीलेपन को न्यायिक मजबूती के साथ जोड़ता है — एक संतुलन जो न तो कठोर अमेरिकी और न ही लचीले ब्रिटिश मॉडल में पाया जाता है।

C.4 एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली

थ्योरी — फ़ेडरल आइडिया: फ़ेडरलिज़्म पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन का एक तरीका है जो अलग-अलग पॉलिटिक्स को एक बड़े सिस्टम में जोड़ता है ताकि हर एक अपनी इंटीग्रिटी बनाए रखे — 'सेल्फ़-रूल प्लस शेयर्ड रूल' (एलाज़र)। **केसी व्हेयर के** फ़ेडरल प्रिंसिपल के लिए ज़रूरी है कि आम और रीजनल सरकारें, अपने दायरे में, **कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट हों** , और एक-दूसरे के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी लें। एक फ़ेडरेशन की ज़रूरी शर्तें आमतौर पर इस तरह बताई जाती हैं: एक **लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन** (पावर के बँटवारे को रिकॉर्ड करने के लिए), उसका **सुप्रीमेसी** , लेवल के बीच **पावर का बँटवारा , उस बँटवारे की मज़बूती** (ताकि कोई भी लेवल इसे एकतरफ़ा तौर पर बदल न सके), और झगड़ों में मध्यस्थता करने के लिए एक **इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी**। फ़ेडरलिज़्म को एकता के अंदर **डायवर्सिटी को एडजस्ट करने , सरकार को लोगों के करीब लाने , तानाशाही पर रोक लगाने के लिए पावर को बाँटने और** यूनिट्स ('डेमोक्रेसी की लैब') को **एक्सपेरिमेंट करने की** इजाज़त देने के लिए वैल्यू दी जाती है।

थ्योरी — फ़ेडरलिज़्म की डिग्री और टाइप: फ़ेडरेशन अपने **सेंट्रलाइज़िंग या डीसेंट्रलाइज़िंग** झुकाव में अलग-अलग होते हैं। एक प्योर फ़ेडरेशन दोनों लेवल को बैलेंस करता है; एक **क्वासी-फ़ेडरेशन** सेंटर की तरफ़ झुकता है (भारत के लिए व्हेयर का शब्द)। थ्योरी फ़ेडरेशन को **ओरिजिन** (एक साथ आना बनाम एक साथ रहना — स्टेपन), **सिमिट्री** (सिमिट्रिक बनाम एसिमेट्रिक), और **प्रैक्टिस** (डुअल, कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव) के आधार पर भी अलग करती है। यह क्लासिफ़िकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह एक फ़ेडरेशन के बिहेवियर को समझाता है: भारत जैसा एक साथ रहने वाला फ़ेडरेशन, जो डायवर्सिटी में एकता बनाए रखने के लिए एक मज़बूत सेंटर से डिवोल्यूशन से बना है, नैचुरली एक यूनिटरी बायस दिखाएगा, जबकि USA जैसा एक साथ आने वाला फ़ेडरेशन, जो एग्रीगेशन से बना है, अपनी यूनिट्स की ऑटोनॉमी की रक्षा करेगा।

भारत की स्थिति: भारत **'क्वासी-फेडरल' है** (केसी व्हेयर) — रूप में फेडरल (दोहरी राजनीति, 7th शेड्यूल के ज़रिए शक्तियों का बंटवारा, लिखा हुआ/सुप्रीम संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दो सदनों वाला) लेकिन एक मज़बूत **एकात्मक झुकाव** (लंबी यूनियन लिस्ट, केंद्र के पास बची हुई शक्तियाँ, आर्टिकल 3, सिंगल

नागरिकता, ऑल-इंडिया सर्विसेज़, इमरजेंसी प्रावधान, गवर्नर) के साथ। आर्टिकल 1 भारत को **'यूनियन ऑफ़ स्टेट्स'** — एक 'होल्डिंग-टुगेदर' फेडरेशन कहता है। **तुलना:** USA एक क्लासिक **'कमिंग-टुगेदर' फेडरेशन है** — सॉवरेन देश एक साथ; **राज्यों के पास बची हुई पावर और दोहरी नागरिकता** ; राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी। **कनाडा (** इंडियन मॉडल) एक **मज़बूत सेंटर वाला 'होल्डिंग-टुगेदर' फेडरेशन है** जिसमें बची हुई पावर और सेंट्रली नियुक्त गवर्नर हैं। **UK यूनिटरी** है (डीवोल्यूशन के बावजूद)। इंडिया, USA और एक यूनिटरी स्टेट के बीच में है।

पहलू	भारत	यूएसए	कनाडा
प्रकार	एक साथ रहना (मजबूत केंद्र)	एक साथ आना	एक साथ बने रहना
अवशिष्ट शक्तियाँ	केंद्र (अनुच्छेद 248)	राज्य अमेरिका	केंद्र
सिटिज़नशिप	अकेला	दोहरी	अकेला
राज्य की अखंडता (अनुच्छेद 3)	केंद्र द्वारा परिवर्तनीय	गारंटी	मजबूत सुरक्षा

भारत ने फ़ेडरल पावर को सेंटर की तरफ़ क्यों झुकाया: संविधान बनाने वालों का फ़ैसला सोच-समझकर और हालात के हिसाब से था। **बंटवारे का सदमा** , 550 से ज़्यादा **रियासतों का एक होना, अलग होने वाली और केंद्र की तरफ़ झुकने वाली ताकतों** का खतरा , और **प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट** और **नेशनल इंटीग्रेशन** की ज़रूरतें, इन सभी ने एक मज़बूत सेंटर की बात कही। अंबेडकर ने ज़ोर दिया कि यूनियन कभी खत्म नहीं हो सकता, भले ही राज्य न हों, और संविधान 'समय और हालात की ज़रूरतों के हिसाब से' एक वाला और फ़ेडरल दोनों हो सकता है। इसलिए भारत ने जान-बूझकर मज़बूत, ऑटोनॉमस राज्यों के अमेरिकी मॉडल को मना कर दिया।

महत्व और आज के समय में काम का: क्वासी-फेडरल डिज़ाइन ने भारत को एक देश के तौर पर एक साथ रहने दिया है, जहाँ कई फेडरेशन टूट गए थे, साथ ही अलग-अलग प्रोविज़न (Arts 371-सीरीज़) और राज्यों के फ्लेक्सिबल रीऑर्गेनाइज़ेशन (Art. 3) के ज़रिए डायवर्सिटी को भी शामिल किया गया है। फिर भी, इससे बार-बार तनाव पैदा होता है — गवर्नर की भूमिका, आर्टिकल 356, फिस्कल डिवोल्यूशन और सेंट्रल एजेंसियों को लेकर — जो फेडरल बैलेंस को एक अहम मुद्दा बनाए रखते हैं। न्यायिक दखल (SR बोम्मई, 1994) ने फेडरलिज़्म को एक बेसिक फीचर बना दिया है, जिससे यह पक्का होता है कि सेंट्रल झुकाव को फेडरलिज़्म को ही खत्म करने की ओर नहीं धकेला जा सकता।

C.5 संसदीय शासन प्रणाली

थ्योरी — पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल: पार्लियामेंट्री **(कैबिनेट) सिस्टम** एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अंगों के **मेल** पर टिका है। **वाल्टर बेजहॉट** ने 'द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन' (1867) में कैबिनेट को इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का 'एफिशिएंट सीक्रेट' कहा था — वह 'बकल' जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हिस्सों को जोड़ता है। इसकी खास बातें हैं **डुअल एग्जीक्यूटिव** (एक नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट और एक रियल एग्जीक्यूटिव), पॉपुलर चैंबर के प्रति कैबिनेट की **कलेक्टिव जिम्मेदारी , और यह ज़रूरत कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का भरोसा बनाए रखे। बेजहॉट ने कॉन्स्टिट्यूशन के 'डिग्निफाइड' हिस्सों** (राजा — जो लोगों की लॉयल्टी को एक्साइट और बनाए रखता है) को **'एफिशिएंट' हिस्सों** (कैबिनेट — जो असल में काम करता है) से अलग बताया।

थ्योरी — पार्लियामेंट्री बनाम प्रेसिडेंशियल: प्रेसिडेंशियल **सिस्टम** एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को **अलग करने** पर आधारित है : एक फिक्स्ड-टर्म एग्जीक्यूटिव, जिसे अलग से चुना जाता है, जो स्टेट का हेड और गवर्नमेंट का हेड दोनों होता है और लेजिस्लेचर उसे इंपीचमेंट के अलावा हटा नहीं सकता। थ्योरी दोनों को तौलती है: पार्लियामेंट्री सिस्टम **ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी** (लगातार जवाबदेही और नो-कॉन्फिडेंस मंज़ूरी), एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच **तालमेल** , और **फ्लेक्सिबिलिटी (एक नापसंद सरकार को फिक्स्ड टर्म का इंतज़ार किए बिना बदला जा सकता है) देता है, स्टेबिलिटी** की कीमत पर ; प्रेसिडेंशियल सिस्टम **स्टेबिलिटी (एक फिक्स्ड टर्म) और एक साफ़, एनर्जेटिक एग्जीक्यूटिव देता है, अकाउंटेबिलिटी और अलग-अलग अंगों के बीच डेडलॉक** के रिस्क की कीमत पर। चॉइस इस बात पर डिपेंड करती है कि समाज किस वैल्यू को वैल्यू देता है — अंबेडकर ने इसे 'ज़्यादा ज़िम्मेदारी' (पार्लियामेंट्री) बनाम 'ज़्यादा स्टेबिलिटी' (प्रेसिडेंशियल) के तौर पर बताया।

भारत का नज़रिया: भारत ने केंद्र (Arts 74, 75) और राज्यों (Arts 163, 164) में **ब्रिटिश (वेस्टमिंस्टर) पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया: एक नाम का हेड** (राष्ट्रपति) और एक **असली एग्जीक्यूटिव** (PM + काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स) **जो मिलकर लोकसभा (Art. 75) के प्रति ज़िम्मेदार होते हैं** , जिसमें मेजॉरिटी-पार्टी का शासन, डबल मेंबरशिप और लोअर हाउस का भंग होना शामिल है।

तुलना (पार्लियामेंट्री बनाम प्रेसिडेंशियल): UK मॉडल पार्लियामेंट्री सिस्टम (एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का फ्यूजन) है। **USA** मॉडल **प्रेसिडेंशियल** सिस्टम है — एक फिक्स्ड-टर्म प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ़ स्टेट और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट दोनों होता है, लेजिस्लेचर से **अलग होता है और उसके प्रति ज़िम्मेदार नहीं होता, और उसे भंग करने का कोई अधिकार नहीं होता। भारत ने ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और अपनी डायवर्सिटी के हिसाब** से पार्लियामेंट्री मॉडल चुना , लेकिन यह ब्रिटिश राजशाही के उलट एक **रिपब्लिक (चुना हुआ हेड) है।**

आधार	भारत / यूके (संसदीय)	संयुक्त राज्य अमेरिका (राष्ट्रपति)
कार्यपालिका-विधायिका	संयुक्त; अन्योन्याश्रित	अलग; स्वतंत्र
राज्य एवं सरकार के प्रमुख	अलग (राष्ट्रपति/राजा बनाम प्रधानमंत्री)	वही व्यक्ति (राष्ट्रपति)
ज़िम्मेदारी	कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है	विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं
कार्यकाल	तय नहीं (अविश्वास पर पड़ता है)	निश्चित अवधि
तनाव	ज़्यादा जवाबदेही, कम स्थिरता	ज़्यादा स्थिरता, कम जवाबदेही

ब्रिटिश मॉडल से भारतीय बदलाव: भारत ने वेस्टमिंस्टर की पूरी तरह से नकल नहीं की। यह एक **रिपब्लिक है** जिसमें एक चुना हुआ प्रेसिडेंट है, राजशाही नहीं; यह एक **लिखे हुए, सबसे बड़े संविधान के तहत चलता है** जिसमें **ज्यूडिशियल रिव्यू** होता है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं; और मंत्री लेजिस्लेचर के मेंबर बने बिना भी कुछ समय के लिए ऑफिस में रह सकते हैं (छह महीने का समय)। ब्रिटिश कन्वेंशन जो UK के ज़्यादातर कामों को कंट्रोल करते हैं, वे भारत में, कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में कुछ हद तक **कोडिफाइड हैं** , जिससे बिना लिखी समझ पर भरोसा कम होता है।

महत्व और आलोचना: पार्लियामेंट्री सिस्टम ने भारत को **लगातार जवाबदेही** और अपनी विविधता के हिसाब से **लचीली, रिप्रेजेंटेटिव सरकार दी है, और गठबंधन और सत्ता के बदलाव के दौरान भी यह मज़बूत साबित हुआ है। हालांकि, आलोचक अस्थिरता** (खासकर गठबंधन के दौर में), **एक साथ बनी विधानसभा पर एग्जीक्यूटिव का दबदबा** , पार्लियामेंट्री जांच का कमज़ोर होना, और स्वतंत्र लेजिस्लेटिव आवाज़ पर **एंटी-डिफेक्शन कानून के** डरावने असर की ओर इशारा करते हैं। इस बात पर बहस बार-बार होती है कि क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज़्यादा स्थिरता दे सकता है, लेकिन आम सहमति जवाबदेह पार्लियामेंट्री मॉडल को बनाए रखने के पक्ष में है।

C.6 संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण

थ्योरी — पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी (डाइसी): ए.वी. डाइसी ने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बारे में क्लासिक स्टेटमेंट दिया : पार्लियामेंट के पास 'कोई भी कानून बनाने या हटाने का अधिकार है', और 'किसी भी व्यक्ति या संस्था' को कानून द्वारा यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह उसके कानून को ओवरराइड या रद्द कर सके। इसके तीन नतीजे निकलते हैं: पार्लियामेंट किसी भी विषय पर कानून बना सकती है; कोई भी पार्लियामेंट अपने बाद आने वाली पार्लियामेंट को बाध्य नहीं कर सकती; और कोर्ट पार्लियामेंट के किसी एक्ट की वैलिडिटी पर सवाल नहीं उठा सकती। यह सिद्धांत, जो ब्रिटिश संविधान की नींव है, **कानूनी सॉवरेनिटी को लेजिस्लेचर में रखता है** और प्राइमरी कानून के ज्यूडिशियल रिव्यू को बाहर रखता है।

थ्योरी — ज्यूडिशियल सुप्रीमेसी और रिव्यू: इसका उल्टा सिद्धांत **कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के तहत ज्यूडिशियल रिव्यू है** , जिसे USA में **मार्बरी बनाम मैडिसन (1803) ने बनाया था** , जिसमें चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा था कि संविधान सबसे बड़ा कानून है, कि 'यह ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट का काम और ड्यूटी है कि वह बताए कि कानून क्या है', और इसलिए कोर्ट को संविधान के खिलाफ कानूनों को रद्द करना चाहिए। यहां **सॉवरेनिटी संविधान में** (और उसके पीछे लोगों में) है, और ज्यूडिशियरी इसकी गार्डियन है। रिस्क थ्योरिस्ट **'काउंटर-मेजॉरिटेरियन मुश्किल' की पहचान करते हैं** — बिना चुने हुए जज चुने हुए लेजिस्लेचर को ओवरराइड करते हैं।

थ्योरी — इंडियन सिंथेसिस: इंडिया दोनों को सिंथेसाइज़ करता है। यह न तो डाइसियन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी (क्योंकि कानून ज्यूडिशियल रिव्यू के अधीन हैं) को मानता है और न ही बिना किसी शर्त के ज्यूडिशियल सुप्रीमेसी (क्योंकि पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव और बदलाव करने की बड़ी पावर है)। जो सबसे ऊपर है वह **संविधान है** ; लेजिस्लेचर और ज्यूडिशियरी दोनों ही इसके बनाए हुए हैं और इसी से सीमित हैं। **बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन** इसकी नींव है — यह पार्लियामेंट को संविधान में बदलाव करने (लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का सम्मान करते हुए) की इजाज़त देता है, जबकि इसकी ज़रूरी खासियतों (संवैधानिक सुप्रीमेसी और ज्यूडिशियरी की गार्डियन भूमिका को बनाए रखना) को खत्म करने से रोकता है। यह दोनों अंगों के बीच मध्यस्थता वाली **कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है।**

भारत का नज़रिया: भारत **पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के ब्रिटिश प्रिंसिपल** और **ज्यूडिशियल सुप्रीमेसी के अमेरिकन प्रिंसिपल** का एक **सिंथेसिस करता है** । पार्लियामेंट बड़े पैमाने पर कानून बना और बदल सकती है, लेकिन ज्यूडिशियरी उनका रिव्यू कर सकती है; बैलेंस **बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से बना रहता है** — पार्लियामेंट संविधान में बदलाव कर सकती है लेकिन उसके बेसिक फीचर्स को खत्म नहीं कर सकती।

तुलना: UK में , **पार्लियामेंट सॉवरेन है** — प्राइमरी लेजिस्लेशन का कोई ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं होता (कोर्ट पार्लियामेंट के एक्ट को रद्द नहीं कर सकते)। **USA में** , **ज्यूडिशियरी सुप्रीम है** — ज्यूडिशियल रिव्यू (मारबरी बनाम मैडिसन, 1803) और **'ड्यू प्रोसेस' के ज़रिए** , कोर्ट कानूनों को रद्द कर सकते हैं। इंडिया दोनों को मिलाता है: **कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी** के साथ एक एक्टिव लेजिस्लेचर और एक मज़बूत ज्यूडिशियरी, दोनों में से कोई भी पूरी तरह से सुप्रीम नहीं है।

प्रणाली	आयोजन सिद्धांत	कानूनों की न्यायिक समीक्षा
यूके	संसदीय संप्रभुता	नहीं (एक्ट्स को रद्द नहीं कर सकते)
यूएसए	न्यायिक सर्वोच्चता + उचित प्रक्रिया	हाँ (मजबूत)
भारत	संश्लेषण; संवैधानिक सर्वोच्चता	हाँ (बेसिक स्ट्रक्चर द्वारा सीमित)

C.7 एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका

थ्योरी — ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस: एक **इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी** कानून के राज और कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म की एक शर्त है — क्योंकि कोर्ट अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और दूसरे अंगों पर नज़र रख सकते हैं, तभी जब वे खुद उन अंगों के कंट्रोल से आज़ाद हों। थ्योरी इंडिपेंडेंस की इंस्टीट्यूशनल गारंटी की पहचान करती है: **टेन्योर की सिक्योरिटी** , **फाइनेंशियल सिक्योरिटी** (सैलरी एग्जीक्यूटिव की मर्ज़ी पर निर्भर नहीं, कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज की जाती है), **एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस** , और **अपॉइंटमेंट और हटाने में पॉलिटिकल असर से बचाव** । हैमिल्टन ने फेडरलिस्ट नंबर 78 में ज्यूडिशियरी को 'सबसे कम खतरनाक ब्रांच' कहा — जिसके पास 'न तो ताकत है और न ही इच्छा, बल्कि सिर्फ़ जजमेंट' है — ठीक इसलिए क्योंकि उसके पास तलवार और पर्स नहीं है, और तर्क दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए इसकी इंडिपेंडेंस ज़रूरी थी।

थ्योरी — इंटीग्रेटेड बनाम डुअल ज्यूडिशियरी: एक संविधान को यह तय करना होता है कि सभी कानून लागू करने वाली कोर्ट की एक **सिंगल, इंटीग्रेटेड हायरार्की होनी चाहिए, या सेंट्रल और रीजनल लेवल के लिए अलग-अलग कोर्ट का डुअल** सिस्टम होना चाहिए। डुअल सिस्टम (USA) एक साथ आने वाले फेडरेशन के लॉजिक को फॉलो करता है जिसमें राज्य अपने लीगल सिस्टम बनाए रखते हैं; इंटीग्रेटेड सिस्टम (भारत) लीगल यूनिटी के लॉजिक को फॉलो करता है, जिससे कानून का एक ही मतलब और अपील की एक ही चेन पक्की होती है। इंटीग्रेटेड मॉडल **नेशनल यूनिटी और लीगल यूनिफॉर्मिटी को मज़बूत करता है** ; डुअल मॉडल **स्टेट ऑटोनॉमी को मज़बूत करता है** लेकिन इसमें बिखराव और ज्यूरिस्डिक्शनल टकराव का खतरा रहता है।

भारत की स्थिति: भारत में एक **सिंगल, इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियरी है** — सबसे ऊपर **सुप्रीम कोर्ट , उसके नीचे हाई कोर्ट** और उनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट — जो **सेंट्रल और स्टेट दोनों कानूनों को लागू करते हैं**। आज़ादी टेन्योर की सिक्योरिटी, कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी चार्ज, कॉलेजियम सिस्टम, एग्जीक्यूटिव से अलगाव (Art. 50) और कंटेम्प्ट पावर से सुरक्षित है।

तुलना: USA में **डुअल कोर्ट सिस्टम** है — अलग **फेडरल** कोर्ट (जो फेडरल कानून लागू करते हैं) और अलग **स्टेट कोर्ट (जो स्टेट कानून लागू करते हैं), जो इसके 'कमिंग-टुगेदर' फेडरलिज्म को दिखाता है। भारत ने जानबूझकर इसे रिजेक्ट कर दिया** और कानून में एक जैसापन और एक ही हायरार्की पक्का करने के लिए एक **इंटीग्रेटेड सिस्टम (एक यूनिटरी फीचर)** को अपनाया। **ज्यूडिशियल रिव्यू** और ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस **USA से लिए गए हैं**।

पहलू	भारत	यूएसए
न्यायालय प्रणाली	एकल एकीकृत पदानुक्रम	द्वैत (संघीय + राज्य)
कानून लागू	केंद्र और राज्य दोनों एक ही अदालतों द्वारा	संघीय और राज्य अलग-अलग अदालतों द्वारा
न्यायिक समीक्षा	हाँ (कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया + निष्पक्षता)	हाँ (उचित प्रक्रिया)

इंटीग्रेशन का महत्व: इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियरी **राष्ट्रीय एकता और कानूनी एकरूपता का एक शक्तिशाली ज़रिया है**। एक ही हायरार्की यह पक्का करती है कि पूरे देश में कानून का एक जैसा मतलब निकाला जाए, कि किसी भी राज्य में केस करने वाले को सुप्रीम कोर्ट तक अपील की एक ही चेन तक एक्सेस मिले, और अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई कन्फ्यूजन न हो, जैसा कि डुअल सिस्टम में हो सकता है। ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस और ज्यूडिशियल रिव्यू की पावर के साथ मिलकर, इसने सुप्रीम कोर्ट को एक यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस — बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आर्टिकल 21 का विस्तार, एनवायरनमेंटल लॉ — डेवलप करने में मदद की है, जो पूरे देश को बांधता है। इस तरह इंटीग्रेटेड, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी एक यूनिफाइंग और राइट्स-प्रोटेक्टिंग फीचर दोनों है, जो कोहेज़न के हित में अमेरिकन डुअल मॉडल से एक जानबूझकर अलग है।

C.8 मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

थ्योरी — अधिकारों का विचार: फंडामेंटल राइट्स वे बेसिक अधिकार हैं जिन्हें इंसानी इज्ज़त और डेमोक्रेसी के लिए इतना ज़रूरी माना जाता है कि उन्हें सरकार की आम पहुँच से बाहर रखा जाता है और संविधान उनकी गारंटी देता है। थ्योरी उन्हें **नेचुरल राइट्स** (लॉक — ज़िंदगी, आज़ादी, प्रॉपर्टी, प्री-पॉलिटिकल हक के तौर पर) के सिद्धांत से जोड़ती है, जिसे बड़े चार्टर्स (इंग्लिश बिल ऑफ़ राइट्स 1689, अमेरिकन बिल ऑफ़ राइट्स 1791, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ़ 1789, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स 1948) में बताया गया है। अधिकारों को **नेगेटिव** (राज्य के दखल से आज़ादी — क्लासिकल सिविल और पॉलिटिकल आज़ादी) और **पॉजिटिव (राज्य के प्रोविज़न के दावे — सोशल और इकोनॉमिक अधिकार); और जस्टिसिएबल** (कोर्ट-एनफोर्सेबल) या **नॉन-जस्टिएबल** (नैतिक और पॉलिटिकल रूप से बाइंडिंग लेकिन कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं) के तौर पर बांटा गया है।

थ्योरी — डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और वेलफेयर स्टेट: डायरेक्टिव **प्रिंसिपल्स में वेलफेयर स्टेट** और **पॉजिटिव राइट्स की** थ्योरी शामिल है — यह सोच कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बिना अधूरी है, और स्टेट की यह पॉजिटिव ड्यूटी है कि वह एक इज्ज़तदार ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हालात को सुरक्षित रखे। उनका नॉन-जस्टिसिएबल कैरेक्टर एक सोची-समझी थ्योरेटिकल चॉइस को दिखाता है: सोशियो-इकोनॉमिक लक्ष्य रिसोर्स और पॉलिसी पर निर्भर करते हैं और कोर्ट के बजाय पॉलिटिकल प्रोसेस को सौंपना बेहतर है, फिर भी उन्हें 'देश के शासन में फंडामेंटल' घोषित किया जाता है। फंडामेंटल **ड्यूटीज़ रिपब्लिकन थ्योरी** को दिखाती हैं कि अधिकार और ड्यूटीज़ एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं — कि नागरिकता में कम्युनिटी के प्रति ज़िम्मेदारियाँ और उस पर दावे दोनों शामिल हैं।

थ्योरी — सिंथेसिस: इंडियन स्कीम थ्योरी के हिसाब से इन बातों को **एक साथ लाने में खास है** : जस्टिसेबल नेगेटिव राइट्स (लिबरल), नॉन-जस्टिसेबल पॉजिटिव डायरेक्टिव्स (सोशलिस्ट/वेलफेयर), और नागरिकों के कर्तव्य (रिपब्लिकन) एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में। उनके बीच का रिश्ता इस थ्योरी को दिखाता है कि **लिबर्टी और सोशल जस्टिस में बैलेंस होना चाहिए** — कि वेलफेयर के बिना अधिकार गरीबों के लिए खोखले हैं, जबकि लिबर्टी के बिना वेलफेयर तानाशाही है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स में कहा था कि यह बैलेंस खुद बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।

भारत का नज़रिया: फंडामेंटल राइट्स (पार्ट III, आर्ट्स 12–35) न्याय के दायरे में आते हैं; **DPSP (पार्ट IV, आर्ट्स 36–51)** वेलफेयर स्टेट के लिए गैर-न्याय के दायरे में आने वाली गाइडलाइंस हैं; **फंडामेंटल ड्यूटीज़ (पार्ट IV-A, आर्टिकल 51A)** नागरिकों की गैर-न्याय के दायरे में आने वाली ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये सब मिलकर संविधान की 'अंतरात्मा' बनाते हैं (ग्रैनविले ऑस्टिन)।

तुलना (सोर्स): फंडामेंटल राइट्स US बिल ऑफ़ राइट्स पर आधारित हैं। **DPSP आयरिश संविधान** से लिए गए हैं (जिन्होंने उन्हें स्पेन से लिया था)। **फंडामेंटल ड्यूटीज़ USSR (सोवियत) संविधान** से प्रेरित हैं (जिसे स्वर्ण सिंह कमेटी की सलाह पर 42वें अमेंडमेंट, 1976 में जोड़ा गया था)। जस्टिसेबल राइट्स + नॉन-जस्टिसेबल डायरेक्टिव्स + ड्यूटीज़ का कॉम्बिनेशन एक खास इंडियन सिंथेसिस है।

अवयव	भारतीय स्रोत	प्रकृति
मौलिक अधिकार	संयुक्त राज्य अमेरिका (अधिकार विधेयक)	न्यायोचित
निर्देशक सिद्धांत	आयरलैंड (स्पेन के रास्ते)	न्यायोचित
मौलिक कर्तव्य	सोवियत संघ	न्यायोचित

खास भारतीय सिंथेसिस: जो बात खास तौर पर भारतीय है, वह हर हिस्से को उधार लेना नहीं है, बल्कि उनका **एक ही स्कीम में कॉम्बिनेशन** है। अमेरिकन बिल ऑफ़ राइट्स व्यक्ति को स्टेट के खिलाफ़ बचाता है, लेकिन इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जैसा कुछ नहीं है; आयरिश डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉलिसी को गाइड करते हैं, लेकिन एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर में हैं; सोवियत ड्यूटीज़ एक-पार्टी स्टेट में मौजूद थीं। इंडिया ने जस्टिसेबल राइट्स, नॉन-जस्टिसेबल डायरेक्टिव्स और

नागरिकों की ड्यूटीज़ को एक डॉक्यूमेंट में पिरोया, और **मिनर्वा मिल्स (1980) जैसे मामलों के ज़रिए** यह माना कि **फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच बैलेंस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है** । इस तरह राइट्स, वेलफेयर और ड्यूटी को एक सोचे-समझे इक्विलिब्रियम में रखा गया है, जो किसी एक सोर्स वाले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता।

अधिकारों की सुरक्षा की तुलना: भारतीय फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन बिल ऑफ़ राइट्स से कई ज़रूरी तरीकों से अलग हैं: वे ज़्यादा **डिटेल्ड और क्वालिफाइड हैं** (आर्टिकल 19 के तहत हर आज़ादी पर साफ़ 'उचित रोक' है), उनमें **ग्रुप और सोशल-जस्टिस के नियम** (छुआछूत खत्म करना, रिज़र्वेशन) शामिल हैं जो क्लासिकल अमेरिकन मॉडल में नहीं हैं, और वे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से बैलेंस्ड हैं। अमेरिकन राइट्स ट्रेडिशन ज़्यादा **इंडिविजुअलिस्टिक और एब्सोल्यूट है** , जो सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस से बनता है; भारतीय ट्रेडिशन लिबर्टी और सोशल जस्टिस के बीच ज़्यादा **बैलेंस्ड है** ।

C.9 धर्मनिरपेक्ष राज्य

थ्योरी — सेक्युलरिज़्म के मॉडल: एक पॉलिटिकल थ्योरी के तौर पर सेक्युलरिज़्म, स्टेट और धर्म के बीच के रिश्ते से जुड़ा है। इसके तीन बड़े मॉडल हैं। **सेपरेशनिस्ट (अमेरिकन) मॉडल** एक 'अलगाव की दीवार' खड़ी करता है — स्टेट न तो धर्म को बनाता है और न ही उसमें दखल देता है, बल्कि इसे एक प्राइवेट मामला मानता है। **पहले से मौजूद चर्च मॉडल** (ऐतिहासिक रूप से UK, और दूसरे) एक ऑफिशियल धर्म को मान्यता देते हैं, जबकि दूसरों को बर्दाश्त करते हैं। **बराबर सम्मान / प्रिंसिपल्ड-डिस्टेंस मॉडल — जिसे राजीव भार्गव** जैसे भारत के थ्योरिस्ट ने बताया है — यह मानता है कि स्टेट सभी धर्मों से 'प्रिंसिपल्ड दूरी' बनाए रखता है, न तो पूरी तरह से अलग होता है और न ही किसी एक के साथ जुड़ा होता है, आज़ादी, बराबरी और सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत के हिसाब से दखल देता है या परहेज़ करता है। इस तरह सेक्युलरिज़्म कोई एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के अंदर धार्मिक डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए अरेंजमेंट्स का एक परिवार है।

भारत का नज़रिया: भारत एक **सेक्युलर देश है** ('सेक्युलर' शब्द 42वें अमेंडमेंट, 1976 के ज़रिए प्रिएंबल में जोड़ा गया): यहां **कोई सरकारी धर्म नहीं है** ; सभी धर्मों को **बराबर सम्मान और सुरक्षा मिलती है** (Arts 25–28)। भारतीय सेक्युलरिज़्म **'सिद्धांतों वाली दूरी' / पॉज़िटिव सेक्युलरिज़्म (सर्व धर्म समभाव) में से एक है — सरकार सुधार के लिए धर्म में दखल दे सकती है (जैसे, छुआछूत खत्म करना, मंदिर में एंट्री) बजाय इसके कि कोई सख्त दीवार बनाए रखे। सेक्युलरिज़्म बेसिक स्ट्रक्चर** का हिस्सा है (SR बोम्मई)।

तुलना: US मॉडल चर्च और स्टेट के बीच एक **सख्त 'अलगाव की दीवार' है** (पहला संशोधन) — स्टेट धर्म से पूरी तरह दूर रहता है। **UK में** एक **स्थापित चर्च है** (चर्च ऑफ़ इंग्लैंड, जिसके प्रमुख राजा होते हैं) फिर भी वह व्यवहार में सहनशील है। भारत का मॉडल अलग है — न तो कोई दीवार और न ही कोई व्यवस्था, बल्कि **सभी धर्मों के साथ बराबर जुड़ाव** , जो इसकी धार्मिक विविधता को दिखाता है।

नमूना	देश	सार
अलगाव की दीवार	यूएसए	राज्य धर्म से पूरी तरह अलग है
स्थापित चर्च	यूके	आधिकारिक चर्च लेकिन सहिष्णु
सैद्धांतिक दूरी / समान सम्मान	भारत	कोई सरकारी धर्म नहीं; समान व्यवहार + सुधारवादी दखल

भारत का मॉडल अलग क्यों है और इसका महत्व: सेक्युलरिज़्म का भारतीय मॉडल गहरी और कई धर्मों वाले समाज के लिए एक सोचा-समझा जवाब था। एक सख्त अमेरिकी दीवार सरकार को दबाने वाले धार्मिक रिवाजों में सुधार करने से रोकती, जबकि ब्रिटिश-स्टाइल की व्यवस्था एक कई धर्मों वाले देश में सोची भी नहीं जा सकती थी। इसलिए भारत ने **सुधारवादी दखल के साथ बराबर सम्मान चुना** — धार्मिक आज़ादी की रक्षा (Arts 25–28) करते हुए सरकार को छुआछूत खत्म करने, मंदिरों को खोलने, धार्मिक दान को रेगुलेट करने और बराबरी और सामाजिक न्याय के हित में पर्सनल लॉ में सुधार करने का अधिकार दिया। सेक्युलरिज़्म, जिसे **SR बोम्मई (1994) में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया गया था** , इस तरह भारत के सामाजिक बदलाव के कमिटमेंट में शामिल है। इसकी चुनौतियाँ — यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (Art. 44) पर बहस, सांप्रदायिक तनाव, और सुधार और दखल के बीच की लाइन — इसे एक जीता-जागता और विवादित आदर्श बनाए रखती हैं।

C.10 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

फ्रैंचाइज़ और डेमोक्रेसी: फ्रैंचाइज़ — वोट देने का अधिकार — रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की नींव है, यह वह तरीका है जिससे शासित लोगों की सहमति ली जाती है और **पॉलिटिकल बराबरी ('एक व्यक्ति, एक वोट, एक वैल्यू') का सिद्धांत पूरा होता है। डेमोक्रेटिक थ्योरी, वोट देने के अधिकार को यूनिवर्सल बनाने** के लंबे संघर्ष का पता लगाती है : प्रॉपर्टी, दौलत, शिक्षा, जाति और लिंग के आधार पर सीमित फ्रैंचाइज़ से लेकर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ की ओर, जिसे मॉडर्न डेमोक्रेटिक थ्योरी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए ज़रूरी मानती है। वोट का विस्तार इस गहरे थ्योरेटिकल दावे को दिखाता है कि हर एडल्ट, नैतिक रूप से बराबर और कानून का विषय होने के नाते, इसे बनाने में अपनी आवाज़ उठाने का हकदार है। एक इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल अथॉरिटी और फ्री, फेयर, समय-समय पर होने वाले चुनाव, फ्रैंचाइज़ के सार्थक होने के लिए इंस्टीट्यूशनल शर्तें हैं।

भारत का नज़रिया: आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग की गारंटी देता है — **18+** उम्र का हर नागरिक (**61वें अमेंडमेंट, 1989 के हिसाब से 21 से कम किया गया**) बिना किसी भेदभाव के वोट दे सकता है। शुरू में इसे ज़्यादातर गरीब और अनपढ़ समाज के लिए अपनाया गया था, यह 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक वैल्यू' वाला एक बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था।

तुलना: पश्चिमी डेमोक्रेसी में , **सदियों में धीरे-धीरे** वोट देने का अधिकार बढ़ाया गया — प्रॉपर्टी और जेंडर पर लगी रोक धीरे-धीरे हटाई गई (जैसे, UK में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1918/1928 में, USA में 1920 में)। भारत ने **आज़ादी के तुरंत बाद सभी को वोट देने का अधिकार दिया** , यह एक बहुत बड़ा अंतर था जिसने इसे अपने समय के सबसे हिम्मत वाले डेमोक्रेटिक कमिटमेंट में से एक बना दिया।

महत्व और तुलना की जानकारी: यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ भारत के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के दावे की नींव है। हर एडल्ट को – चाहे वह अमीर हो